## **Jharkhand State Electricity Regulatory Commission**

## New Police Line Road, Near C.M. House, Kanke Road, Ranchi –834008 PUBLIC NOTICE

Jharkhand State Electricity Regulatory Commission (JSERC) had published following Draft Regulation

1. JSERC (Renewable Purchase Obligation and its Compliance) Regulation, 2020

The above Draft regulation had uploaded on the Commission website (<a href="www.jserc.org">www.jserc.org</a>) on 22.01.2020 and asked for the Objection/ Comments/Suggestions on the above regulations from interested people/organization and stakeholders by 17.02.2020 respectively.

To finalize the Draft Regulation and maintaining the transparency in the procedure JSERC has fixed following dates and times for the virtual hearing via video conferencing or mobile call:

Regulation	Date and Time
Draft JSERC (Renewable Purchase Obligation and its	17 <sup>th</sup> December (Thursday) 02:30 P.M.
Compliance) Regulation, 2020	

Interested party can register on or before 16.12.2020 for participating in the Virtual hearing via video conferencing or mobile call. Details regarding process for registration for virtual hearing is available on the Commission website on the following link—www.jserc.org/registration\_regulation.pdf.

In case of any queries/clarifications regarding the virtual hearing, the Stakeholders may contact the Commission on +91-9955355465/8507412350 or email <a href="mailto:secretary@jserc.org">secretary@jserc.org</a>.

By Order

(R.P. Nayak) Secretary

## झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

नवीन पुलिस लाईन रोड, सी०एम० हाउस के सामने, कांके रोड, रॉची — 834008.

## सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची ने JSERC (Renewable Purchase Obligation and its Compliance) Regulation, 2020 का प्रारूप आयोग के वेबसाईट (www.jserc.org) पर दिनांक 22.01.2020 को जारी करते हुए, इसकी सूचना दिनांक 23.01.2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाषित करते हुए दिनांक 17.02.2020 तक सुझाव/आपित्त/मंतव्य मांगा गया था । कोविड — 19 महामारी की रोकथाम एवं सरकार द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुपालन करने की वजह से जन—सुनवाई उपयुक्त समय पर नहीं की जा सकी थी।

उपरोक्त विनियमन को अंतिम रूप देने के पूर्व एवं पारदर्षिता बरतने के उद्येष्य से झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के द्वारा वर्चुअल जन—सुनवाई (वीडीयो सम्मेलन एवं मोबाइल कॉल के माध्यम से) निम्नलिखित तिथि एवं समय पर निर्धारित की गई है :--

विनियमन	तिथि एवं समय
Draft JSERC (Renewable Purchase Obligation and its Compliance)	17 दिसम्बर 2020 (गुरूवार) को 2:30
Regulation, 2020	बजे अपराह्न से

उपरोक्त वर्चुअल जन—सुनवाई (वीडीयो सम्मेलन एवं मोबाइल कॉल के माध्यम से) में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति 16.12.2020 या उससे पहले तक, अपने को पंजीकृत कर, जनसुनवाई में भाग ले सकते हैं । वर्चुअल जन—सुनवाई में भाग लेने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया संबंधी विवरण आयोग के वेबसाइट www.jserc.org/registration\_regulation.pdf पर भी उपलब्ध है । वर्चुअल जन—सुनवाई के संबंध में किसी भी प्रष्न/ स्पष्टीकरण के लिए आयोग से +91-9955355465/8507412350 या Email: secretary@jserc.org पर संपर्क कर सकते हैं ।

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति / संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन-सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव, आपत्तियाँ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेषानुसार

सचिव